वित्त मंत्रालय

डीआरआई अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के अचुथापुरम में 23.88 करोड़ रुपए मूल्य की 119.4 किलोग्राम अल्प्राजोलम जब्त कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया

प्रविष्टि तिथि: 18 AUG 2025 9:41PM by PIB Delhi

हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और काकीनाडा के राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने एक समन्वित अभियान चलाकर 119.4 किलोग्राम अल्प्राजोलम जब्त की। अवैध बाजार में इसकी कीमत लगभग 23.88 करोड़ रुपए आंकी गई है। डीआरआई अधिकारियों ने अल्प्राजोलम के अवैध निर्माण और वितरण में शामिल आठ लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनमें मुख्य साजिशकर्ता, केमिस्ट, फाइनेंसर और खरीदार शामिल थे।

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के अचुथापुरम में एक कारखाने में गुप्त रूप से 'अल्प्राजोलम' निर्माण किए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त, 3,600 लीटर तरल और ठोस रूप में 311.6 किलोग्राम अवैध रूप से प्राप्त कच्चे माल, अल्प्राजोलम के निर्माण में प्रयुक्त उपकरण (दो रिएक्टर, एक सेंट्रीफ्यूज और एक ड्रायर) तथा कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश व्यक्ति मादक पदार्थों के अवैध निर्माण और अन्य आपराधिक गतिविधियों (हत्या, साइबर अपराध और आर्थिक अपराध) से जुड़े मामलों में पहले से ही संलिप्त रहे हैं।

प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि इन लोगों ने जेल में रहते हुए ही इस अवैध गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रची थी और अपना नेटवर्क बनाया था, जो इस गिरोह की गहरी और संगठित प्रकृति को दर्शाता है। जब्त अल्प्राजोलम को ताड़ी में मिलावट के लिए तेलंगाना ले जाया जाना था। मामले में आगे की जांच जारी है।

पीके/केसी/बीयू/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2157804) आगंतुक पटल : 30

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Telugu